

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग



क्रमांक एफ.3(54)नविवि / 3 / 2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 31 DEC 2017

आदेश

मंत्रीमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1) मम/2009 दिनांक 26.04.11 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 से पुर्णगठित एवं आदेश दिनांक 01.11.2012 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत मंत्रीमण्डल एम्पावर्ड समिति की षष्ठम बैठक में एजेण्डा आईटम नम्बर-4 के प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के अनुसरण में छोटे वाणिज्यिक भूखण्डों के नियमन हेतु पृथक से विशेष विनियम तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों की समिति गठित की जाती है:-

1. सलाहकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर-संयोजक
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर-सदस्य
3. निदेशक नगर आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर-सदस्य
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर-सदस्य।

उक्त समिति एक सप्ताह में उक्त विनियम तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी। समिति की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग द्वारा लिया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर.के.पर्सीक)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. आयुक्त / सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. सलाहकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, नगर आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम।
12. समस्त आयुक्त, नगर परिषद।
13. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका।
14. रक्षित पत्रापत्ती।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय